राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. डीडीएमए/कोविड/2020/1/ **दिनांक 01.04.2020**

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कोविड–19 महामारी के संक्रमण के कारण चिंतित है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए इसे आवश्यक समझा गया है।

और जबकि, याचिका सं. 468/2020 और 469/2020 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 31.03.2020 के आदेश (प्रतिलिपि संलग्न) के तहत यह पाया कि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट अथवा सोशल मीडिया द्वारा झूठी खबरों फैलाने जैसी बुराई को अनदेखा नहीं किया जा सकता. माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्देश दिए हैं कि मीडिया हो रहे विकास के बारे में देखे और उनके अधिकारिक संस्करण जारी करे तथा यह सुनिश्चित करे कि अप्रमाणित खबरें जो डर का कारण बनती हों, उन्हें फैलने न दिया जाए. साथ ही, यह भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी धर्मों के प्रशिक्षित काउंसलर और/ अथवा सामुदायिक ग्रुपों के लीडर राहत केंद्रों/शेल्टर होम के दौरे करें तथा प्रवासियों के समक्ष आने वाली किन्हीं अड़चनों को सुलझाएं. माननीय न्यायालय ने यह इच्छा भी व्यक्त की है कि पुलिस के साथ इच्छुक स्वयंसेवक भी प्रवासियों से नम्रतापूर्वक व्यवहार करते हुए उनके लिए कल्याणकारी गतिविधियों को देखे जाने में शामिल हों।

अतः, अब दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के धारा 22 के तहत निहित शक्तियों के अनुपालन के द्वारा, राज्य कार्यकारी समिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में, अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेशक, डीआईपी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को आवश्यक निर्देश जारी करते हुए निदेश दिया जाता है कि वे मीडिया के विभिन्न माध्यमों (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक अथवा सोशल) के द्वारा के जा रहे कार्यों पर नियमित तौर पर नजर रखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अप्रमाणित खबरें जो डर का कारण बनती हों, उन्हें फैलने न दिया जाए. निदेशक (डीआईपी) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आनवश्यक उपाय करें कि लोगों के संदेह दूर किए जा सकें और झूठी खबरों से कोई डर उत्पन्न न होने पाए. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के किसी उल्लंघन के मामले में, निर्धारित विधिक प्रावधानों के अनुसार दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए. साथ ही, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी जिलाधिकारियों के साथ–साथ उनके समकक्ष जिला पुलिस उपायक्तों को निर्देश दिए जाते हैं कि सभी धर्मों के प्रशिक्षित काउंसलर और/अथवा सामुदायिक ग्रुपों के लीडर राहत केंद्रों/शेल्टर होम के दौरे करने के संबंध में उपर्युक्त निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें पुलिसकर्मियों के साथ स्वयं सेवकों की तैनाती सुनिश्चित करें ताकि प्रवासियों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।

Scanned with CamScanner

ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.

(विजय देव)

मुख्य सचिव, दिल्ली

प्रतिलिपि अनुपालनार्थ :

1. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. समस्त जिला डीसीपी, दिल्ली पुलिस।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. अपर मुख्य सचिव, गृह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. आयुक्त पुलिस, दिल्ली।
6. मंडलीय आयुक्त–सह–प्रधान सचिव (राजस्व), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. एसआईओ, एनआईसी को दिल्ली सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

Scanned with CamScanner